उत्तर प्रदेश में रसोई गैस के नकली सिलिन्डरों का प्रयोग

2801. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रसोई गैस के नकली सिलिंडरों का बडे पैमाने पर प्रयोग हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष राज्य-वार रसोई गैस के कितने नकली सिलिंडर जब्त किए गए थे ; और

(ग) इसे रोकने के लिए क्या कार्य-वाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) एल.पी.जी. भरण संयंत्रों पर उत्तर प्रदेश में वर्ष 1991–92 के दौरान 1831 संदेहास्पद नकली सिलिंडरों का पता लगाया गया ।

(ख) एक विवरण संलग्न है [नीचे देखिए]

(ग) तेल कंपनियों के क्षेत्रीय अधिकारी प्रणाली में नकली सिलिंडरों के चलन पर नजर रखते हैं । संदेहास्पद परिसरों पर छापे मारे जाते हैं । जब भी तेल विपणन कंपनियों द्वारा नकली सिलिंडरों का पता लगाया जाता है, उन्हें तत्काल नष्ट कर दिया जाता है । जब ऐसे सिलिंडरों का पता परिवाहकों/एजेंसियों द्वारा लगाया जाता है तब उन्हें सावधानी बरतने/चेतावनी पत्र जारी किए जाते हैं और 1500 रुपए प्रति नकली सिलिंडर दंड वसूल किया जाता है ।

विवरण

राज्य	कुल
आन्ध्र प्रदेश	119
बिहार	2
गोआ	1
गुजरात	1276
हरियाणा	548
हिमाचल प्रदेश	31
कर्नाटक	13
मध्य प्रदेश	253
महाराष्ट्र	697
उड़ीसा	25
पंजाब	220
राजस्थान	158
उत्तर प्रदेश	1831
पश्चिम बंगाल	44
संघ राज्य क्षेत्र	
दिल्ली	234

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल/डीजल/रसोई गैस की कालाबाजारी

2802. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने वितरकों के विरुद्ध पैट्रोल/डीजल/रसोई गैस की कालाबाजारी/मिलावट की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) इस संबंध में जिलावार ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितने वितरकों को किस-किस तरह का दंड दिया गया है ; और

(घ) इस संबंध में जिलावार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) (क) उत्तर प्रदेश के उन डीलरों/वितरकों की संख्या जिनके विरूद्ध चोर बाजारी/मिलावट के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

कंपनी का नाम	वर्ष	पैट्रोल/डीजल/एल.पी.जी. डीलरों/वितरकों की संख्या
आई.बी.पी.	1990–91	4
	1991–92	1
आई ओ.सी.	1990–91	15
	1991–92	11
बी.पी.सी.एल.	1990–91	3
	1991–92	7
एच.पी.सी. एल	1990–91	1
	1991–92	3
	कुल	4[illegible]

(ख) उत्तर प्रदेश के खुदरा बिक्री केंद्रों/एल पी जी डीलरों/वितरकों का जिलावार ब्योरा जिनके विरुद्ध चोर बाजारी मिलावट के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं :

वर्ष	जिला	डीलरों/वितरकों की संख्या
1990-91	मिर्जापुर	1
	बरेली	2
	बस्ती	1
	इलाहाबाद	4
	पीलीभीत	1
	महाराजगंज	3
	मुज्जफरनगर	1
	मेरठ	2
	शाहजहांपुर	2
	मुरादाबाद	3
	लखीमपुर	1
	बाराबंकी	1
	हरदोई	1
	गाजियाबाद	1
1991–92	लखनऊ	1
	मिर्जापुर	1
	इलाहाबाद	2
	रामपुर	2
	भडौट	1
	वाराणसी	1
	बुलन्द शहर	1
	नैनीताल	2
	अलीगढ़	1
	मुरादाबाद	1
	कानपुर (देहात)	1
	कानपुर	1
	हमीरपुर	2

(ग) और (घ) वर्ष 1990–91 और 1991–92 के दौरान उत्तर प्रदेश के जिन डीलरों/वितरकों को सजा दी गई है और दंड की प्रकृति।

वर्ष	जिला	डीलरों/वितरकों की संख्या	दंड की प्रकृति
1990–91	शाहजहांपुर	2	15-1-1995 से 31–5–1991 तक सप्लाई रोक दी गई थी और जांच के बाद चालू की गई ।
	हरदोई	1	30–6–90 से सप्लाई रोक दी गई थी और 6-11–90 से जांच के बाद चालू की गई ।
	मिर्जापुर	1	15 दिनों के लिए सप्लाई रोक दी गई थी और सावधानी बरतने के लिए पत्र दिया गया ।
1991 92	गोंडा	1	3–12–90 से 14–12–90 तक सप्लाई रोक दी गई थी और बाद में न्यायालय के आदेश के अनुसार चालू की गई ।
	जौनपुर	1	आपूर्ति रोक दी गई थी और बाद में जांच के बाद चालू की गई।
	अलीगढ	2	एक मामले में आपूर्ति रोक दी गई थी और जांच के बाद चालू की गई दूसरे मामले में चेतावनी पत्र जारी किया गया ।
	नैनीताल	1	चेतावनी पत्र जारी किया गया था ।
	लखनऊ	1	–वही–
	मिर्जापुर	1	–वही–
	इलाहाबाद	1	–वही–